

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 1748/11-सी-FP/UP/Others/12699/2015, लखनऊ, दिनांक: फरवरी 20, 2017,

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद-बाराबंकी में एस्सार ऑयल लि0, ए-5, सेन्टर-3 नोयडा द्वारा प्रस्तावित ग्राम-दादरा, तहसील-नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी के गाटा संख्या-909, एन0एच0-28 लखनऊ-फैजाबाद मार्ग पर किमी0 40-41 के मध्य बाईं पटरी पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.167175 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/04/2017/एफ0सी0/100, दिनांक-12.01.2017 एवं अनुसचिव, उ0प्र0 शासन का पत्रांक-भा0स0-07/14-2-2017-800(181)/2016, दिनांक-18.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में पाई गई कमियों का बिन्दुवार निराकरण प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी ने अपने पत्रांक-2330/14-4-4, दिनांक-13.02.2017 तथा वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 सरयू वृत्त, फैजाबाद ने अपने पत्रांक-2611/14-10, दिनांक-13.02.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। उक्त पत्रों की छायाप्रति सहित सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को प्रस्ताव की दो मूल प्रतियों में संलग्न कर, इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रस्ताव की एक मूलप्रति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ को सन्दर्भित करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:- /11-सी- FP/UP/Others/12699/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 सरयू वृत्त, फैजाबाद।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी।
3. डिविजनल प्रबन्धक, (यू0पी0-सी) एस्सार ऑयल लि0 315, 316 टी0सी0/जी-2/2 एवं टीसी/जी-5, तृतीय तल, साइबर हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।